न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 49/2015 (जीसीएमएस संख्याः–2015/00055)

सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री भैरूलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्,

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्री तोफान, जाति–जैन, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
2. पप्पू पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
3. गिर्राज पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
4. गोविन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 30.07.2015 नामान्तरकरण सं0–129 ग्राम–कोटखावदा द्वारा तहसीलदार, चाकसू)

उपस्थितः–

1. श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 लगायत 04 बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 17.03.2021

तहसीलदार, चाकसू ने ग्राम–कोटखावदा दक्षिण की आराजी ख0नं0–4725 रकबा 0.09 हे0, ख0 नं0 4726 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.52 हे0 के खातेदार पप्पू गिर्राज पि0 कन्हैयालाल मु0 गोविन्दी देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 जाति–ब्राह्मण सा0 देह की बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तर–करण संख्या–129 दिनांक 30.07.2015 लालचन्द पुत्र तोफान, जाति–जैन सा0 देह हिस्सा 1/3 स्वीकार किया है, जिससे व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत हुई हैं।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

अपीलान्ट के विद्वान् की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री हेमन्त सोगानी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध

तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या–129 दिनांक 30.07.2015 स्वीकार किये जाने से पूर्व सम्बन्धितो को सुनवाई का नोटिस/अवसर नहीं दिया गया। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि सम्बन्धितो को सुनवाई का नोटिस व साक्ष्य/सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया जावे किन्तु विचारण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका नही दिया गया। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 30.07.2015 एकतरफा पारित किये जाने से निरस्तनीय है जबकि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट् के पूर्वज की है और वर्तमान में अपीलान्ट् का कब्जा–काश्त हैं मौके की जांच नही की गई यदि मौके की जांच की जाती तो विवादग्रस्त त्रुटि नही होती। आराजी ख0नं0–4725 रकबा 0.09 हे0, ख0 नं0 4726 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.52 हे0 के खातेदार पप्पू गिर्राज पि0 कन्हैयालाल मु0 गोविन्दी देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 जाति–ब्राह्मण सा0 देह के विरूद्ध न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के समक्ष एक दावा इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया था और दावे के साथ ही एक आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय ने दिनांक 16.10.2007 को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की और इसके पश्चात दोनो पक्षों की सुनवाई करने पर दिनांक 22.03.2011 को प्रतिवादीगयण को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया। आज्ञा दिनांक 22.03.2011 की रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में अपील की है जो जेरकार है परन्तु इसमें किसी प्रकार की स्थगन आज्ञा पारित नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 लगायत 04 का कभी किसी प्रकार का अधिकार व कब्जा नहीं था परन्तु राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित होने का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य दिनांक 23.08.2007 को रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दिया इस विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 03.09.2007 को भरकर प्रस्तुत किया परन्तु अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी होने की वजह से नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया गया। इस स्थगन आज्ञा का इन्द्राज नामान्तरकरण पर दर्ज है परन्तु कुछ समय पूर्व राजस्व अभियान प्रारम्भ हुआ तो रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 ने उप खण्ड अधिकारी, चाकसू से कोई बाला–बाला आदेश दिनांक 29.07.2015 को पारित करा लिया और इस आदेश का विवरण देते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावी होने व उसकी टिप्पणी दर्ज होने के बावजूद भी तहसीलदार ने अपीलान्ट् को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। इस प्रकार स्थगन आज्ञा होने के बावजूद नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार, चाकसू ने अवैध व प्रभाव शून्य आदेश के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की

अवहेलना करते हुए जो अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया है वह पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2009(2) पेज 816 एवं आर.आर.डी. 2003 पेज 243 में स्पष्ट मन्तव्य दिया गया है कि नियमित वाद के लम्बित रहते हुए नामान्तरकरण की समरी प्रोसीडिंग्स को स्थगित रखा जाना चाहिए। विचारण प्रकरण में स्थगन आज्ञा एवं वाद के विचाराधीन होने के बावजूद नामान्तरकरण संख्या 129 स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्ध है अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमायी जावे। विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2009(2) आर. आर.टी. 816, 2009(2) आर.आर.टी. 818, आर.आर.डी. मई 2003, 243 के दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली ना0सं0 129 दिनांक 30.07.2015 के अवलोकन से जाहिर होता है कि नामान्तरकरण के कॉलम संख्या–14 व 16 में पटवारी हल्का ने दिनांक 03.09.2007 को स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.2007 के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाना अंकित किया है। जो उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की स्थगन आज्ञा दिनांक 16.10.2007 के प्रभावी होने से नामान्तरकरण को निर्णित नहीं किया जाना जाहिर है। नामान्तरकरण पर दिनांक 30.07.2015 को पटवारी हल्का ने उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के निर्णय दिनांक 21.07.2015 एवं तहसीलदार, कोटखावदा के क्रमांक एलआर/15/1361–1363 दिनांक 29.07.2015 के अनुसार नामान्तरकरण को तस्दीक किये जाने के आदेश दिये गये है एवं स्थगन से छूट दिये जाने का तथ्य भी अंकित किया है। निर्णय दिनांक 22.03.2011 द्वारा जो स्थगन आज्ञा दी गई है वह कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थगन आज्ञा दी है और यह स्थगन आज्ञा लगातार प्रभाव में रही हो ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। स्थगन आज्ञा 22.03.2011 रिकोर्ड की यथास्थिति रखी जाने के संबंध में भी नहीं थी। इस उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के निर्णय दिनांक 21.07.2015 सम्बन्धी तथ्यों के विपरीत पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह जाहिर करते हो कि नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की दिनांक को वादग्रस्त आराजी से किसी सक्षम न्यायालय से नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की दिनांक को स्थगन हो। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर